



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-18012022-232714
CG-MH-E-18012022-232714

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31]
No. 31]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 18, 2022/पौष 28, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 18, 2022/PAUSHA 28, 1943

भारतीय रिज़र्व बैंक

अधिसूचना

मुंबई, 12 अक्टूबर, 2021

फा. सं. डीओआर. ग्रामीण. संख्या S1627/19.51.025/2021-22.—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके एतद्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में "सिक्किम स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड" को सम्मिलित किए जाने का निदेश देता है।

जयन्त कुमार दाश, कार्यपालक निदेशक
[विज्ञापन-III/4/असा./577/2021-22]

RESERVE BANK OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 12th October, 2021

F. No. Dor. RUR. No. S1627/19.51.025/2021-22.—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion of "Sikkim State Co-operative Bank Ltd." in the Second Schedule to the said Act.

JAYANT KUMAR DASH, Executive Director
[ADVT.-III/4/Exty./577/2021-22]